

**ग्रामीण विकास मंत्रालय**

मांग संख्या 69

**पेयजल आपूर्ति विभाग**

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2001-2002			संशोधित 2001-2002			बजट 2002-2003		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व पूंजी जोड़	2160.00	1.35	2161.35	2110.00	1.31	2111.31	2400.00	1.33	2401.33
	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	<b>2160.00</b>	<b>1.35</b>	<b>2161.35</b>	<b>2110.00</b>	<b>1.31</b>	<b>2111.31</b>	<b>2400.00</b>	<b>1.33</b>	<b>2401.33</b>
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	1.27	1.27	...	1.25	1.25	...	1.27
<b>ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई</b>									
2. त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	3601	1188.75	...	1188.75	1160.77	...	1160.77	1280.22	...
	3602	0.10	...	0.10	...	...	...	0.10	...
	2215	620.15	0.08	620.23	613.23	0.06	613.29	731.18	0.06
जोड़		<b>1809.00</b>	<b>0.08</b>	<b>1809.08</b>	<b>1774.00</b>	<b>0.06</b>	<b>1774.06</b>	<b>2011.50</b>	<b>0.06</b>
3. ग्रामीण सफाई	3601	13.27	...	13.27	11.50	...	11.50	...	...
	3602	0.05	...	0.05	...	...	...	...	...
	2215	121.68	...	121.68	108.50	...	108.50	148.50	...
जोड़		<b>135.00</b>	...	<b>135.00</b>	<b>120.00</b>	...	<b>120.00</b>	<b>148.50</b>	...
<b>जोड़-ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई</b>		<b>1944.00</b>	<b>0.08</b>	<b>1944.08</b>	<b>1894.00</b>	<b>0.06</b>	<b>1894.06</b>	<b>2160.00</b>	<b>0.06</b>
4. उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए बनाई जाने वाली परियोजनाओं/योजनाओं के संबंध में एकमुश्त प्रावधान	2552	216.00	...	216.00	216.00	...	216.00	240.00	...
<b>कुल जोड़</b>		<b>2160.00</b>	<b>1.35</b>	<b>2161.35</b>	<b>2110.00</b>	<b>1.31</b>	<b>2111.31</b>	<b>2400.00</b>	<b>1.33</b>
<b>ग. आयोजना परिव्यय</b>	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.
1. जलापूर्ति और सफाई	22215	1944.00	...	1944.00	1894.00	...	1894.00	2160.00	...
2. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	22552	216.00	...	216.00	216.00	...	216.00	240.00	...
<b>जोड़</b>		<b>2160.00</b>	...	<b>2160.00</b>	<b>2110.00</b>	...	<b>2110.00</b>	<b>2400.00</b>	...

1. इसमें पेयजल आपूर्ति विभाग के सचिवालय के व्यय की व्यवस्था की गई है।

2. सरकार कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गति में तेजी लाकर देश में सभी ग्रामीण स्थानों को पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने हेतु वचनबद्ध है। इस प्रयोजनार्थ, सरकार विगत वर्षों से ग्रामीण जलापूर्ति क्षेत्र के लिए वार्षिक केन्द्रीय परिव्यय को उत्तरोत्तर बढ़ा रही है। पूरे देश में क्षेत्र सुधार परियोजनाओं के तहत चुनिंदा 63 प्रायोगिक जिलों में आयोजन, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन में सामुदायिक सहभागिता को संस्थागत बनाने और ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं को बनाए रखने के कदम उठाए जा रहे हैं।

3. सरकार ग्रामीण लोगों को सफाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ाने को अत्यधिक प्राथमिकता देती रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरणीय सफाई पर अत्यधिक ध्यान आकर्षित करने की दृष्टि से दि. 1.4.99 से केन्द्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम की पुनर्संरचना की गयी है। अब इसे परियोजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है और इसे जिला विशेष की आवश्यकताओं के अनुकूल तैयार किया गया है। 111 जिलों में 1 करोड़ से अधिक परिवारों, लगभग 1 लाख प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा ग्रामीण भारत में महिलाओं हेतु लगभग 12 हजार सफाई महिला परिसरों को कवर करने के लिए समग्र स्वच्छता अभियान शुरु किया गया है।

4. सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त राशि का प्रावधान किया गया है।